न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 78/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2016/00059

उनवान

1. घनश्याम
2. बिहारी लाल
3. रघुवीर
4. प्रकाश

पुत्रान बजरंग लाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासीयान गण्डाल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

......अपीलांटस्।

बनाम

1. ग्राम पंचायत गण्डाल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गण्डाल पंचायत समिति बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

......रेस्पोडेन्टस्/प्रतिवादीगण।

उपस्थित :–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट ।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित।
3. पैरोकार सरकार उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक 17.04.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी बामनवास जिला सवाई माधोपुर में दायर राजस्व वाद संख्या 16/2013 बउनवान बजरंग लाल बनाम ग्राम पंचायत गण्डाल में पारित निर्णय दिनांक 09.06.16 के विरुद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र उपखण्ड अधिकारी बामनवास के समक्ष इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजीयात साबिक खसरा नंबर 47 वाके ग्राम गण्डाल तहसील बामनवास मे से 3 बीघा भूमि वादी को जरिये "एडवाईजरी कमेटी" कैम्प गण्डाल में दिनांक 22.02.83 को अलोट हुयी। जिसका दिनांक 22.01.83 को ही वादी के नाम पट्टा जारी किया । अलोटमेंट के बाद पटवारी हल्का ने वादी को मौके पर कब्जा संभलाया। तब से लेकर आज तक वादी उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 01 ग्राम पंचायत गण्डाल का उक्त भूमि से कोई संबंध नही है। आराजी साबिक खसरा नंबर 47 का नया खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 कायम कर उक्त समस्त भूमि को ग्राम पंचायत गण्डाल के नाम गलत रूप से खातेदारी मे दर्ज कर दिया गया है। जिसका भू प्रबंध विभाग को कोई कानुनन अधिकार प्राप्त नही है। अतः वादी साबिक खसरा नंबर 47 से बने हाल खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 मे से 0.75 है0 को वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज किया जावें। मातहत अदालत ने दिनांक 09.06.16 को लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" शिविर गण्डाल में आदेश पारित करते हुए वादी का वाद पत्र खारिज फरमाया दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

3. अपील मीमो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भू प्रबंध विभाग ने अपीलांट वादीगण की साबिक भूमि खसरा नंबर 47 का नया खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 कायम कर उक्त समस्त भूमि को रेस्पो0 संख्या एक के नाम गलत रूप से खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि विपक्षी संख्या एक ग्राम पंचायत गण्डाल का उक्त भूमि साबिक खसरा नंबर 47 जिसके हाल खसरा नंबर 530 बनाये, जिस से कोई संबंध नही है। मौके पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 कोई कब्जा नही है फिर भी मातहत अदालत ने वादी का दावा खारिज करने में भारी भूल की है। भू प्रबंध विभाग को इस तरह से रिकार्ड में बदलाव करने का सीट में बदलाव करने का खातेदारी की भुमि को दीगर व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करते हुए मातहत अदालत ने उक्त निर्णय पारित किया है जो अपास्त योग्य हैं अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 09.06.16 अपास्त फरमाया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए अपीलांट अधिवक्ता व पैराकार सरकार की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस में अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मातहत अदालत में वादी का दावा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलबी में चल रहा था बिना मौका रिपोर्ट का अवलोकन किये ही राजस्व अभियान में ले जाकर वादी अपीलांट का दावा बिना किसी सूचना के खारिज कर भारी विधिक भूल की है। मातहत अदालत आलौच्य निर्णय में डिक्री बनाया जाना भी उचित नही समझा अतः आलौच्य निर्णय पक्षपात पूर्ण होने एव विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय दिनांक 09.06.16 निरस्त फरमाया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

6. पैरोकार सरकार द्वारा बहस मे कथन किया कि राजस्व रिकार्ड को ही बहस मानी जावें।
7. अधिवक्ता अपीलांट व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
8. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर आया कि सिफारिश भूमि आंवटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 22/01/1983 को बजरंगलाल पुत्र बाल्याराम जाति खाती को खसरा नंबर 47 वाके ग्राम पंचायत गण्डाल मे से 3 बीघा भूमि किस्म बारानी–2 आंवटित हुई और लगान 1.56 रूपये प्रति बीघा से कायम करने के आदेश किए गए। **(प्रदर्श–1)** भू–प्रबंध विभाग के तुलनात्मक पत्र के अनुसार ग्राम गण्डाल तहसील बामनवास के गत खसरा नंबर 47 के वर्तमान खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 बने है। **(प्रदर्श–7)** जमाबंदी संवत् 2067–2070 वाके ग्राम व पटवार क्षेत्र गण्डाल तहसील बामनवास के अनुसार खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 ग्राम पंचायत गण्डाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। **(प्रदर्श–9)** जबकि जमाबंदी संवत् 2028–2031 वाके ग्राम गण्डाल तहसील बामनवास के अनुसार खसरा नंबर 47 रकबा 15 बीघा का आदेश 778 एल. आर. दिनांक 28.06.79 द्वारा भूमि का त्याग पत्र स्वीकार होकर सिवायचक मे दर्ज की गई। उक्त भूमि मे से नामान्तरकण संख्या 321 से 03 बीघा जमीन वादी बजरंगलाल पुत्र बाल्याराम जाति खाती को अलोटमेंट हुई। **(प्रदर्श–11)** मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक दिनांक 16.12.15 के अनुसार खसरा नंबर 529 रकबा 0.49 है0 बजरंगलाल पुत्र बाल्या जाति खाती(जांगिड़) सा0 देह के नाम तथा खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 ग्राम पंचायत गण्डाल के नाम दर्ज है। उक्त दोनों खसरा नंबरान को आपस मे मिलाकर अपीलांट द्वारा नवीन खेत बराबर बराबर के बना लिये है।
9. प्रदर्श–11 के अनुसार ग्राम पंचायत गण्डाल के गैर खातेदारी आराजी खसरा नंबर 47 रकबा 15 बीघा का मुताबिक आदेश 778 एल.आर. दिनांक 28.06.1979 के द्वारा सिवायचक दर्ज किए जाने का अंकन जमाबंदी संवत 2028–2031 मे किया गया और तत्पश्चात् नामान्तरण संख्या 321 से अपीलांट को इस आराजी मे से 03 बीघा जमीन आवंटन किए जाने का अंकन भी है।

पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नही है कि सब डिवीजनल ऑफिसर बामनवास के आवंटन आदेश दिनांक 22.01.1983 को खारिज कर दिया गया हो। आवंटन आदेश के अनुसार आवंटन गैर खातेदारी अधिकार के बतौर किया गया है **(प्रदर्श–5)**। भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट की कार्यवाही के/राजस्व कर्मियों द्वारा ग्राम पंचायत के गैर खातेदारी हक से हक त्याग शुदा विवादित आराजीयात को सिवायचक में दर्ज किया जाना चाहिए था और अपीलांट को गैर खातेदारी एवं गैर खातेदारी से खातेदारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

मे दर्ज किया जाना चाहिए था, क्योंकि अपीलांट को आवंटित आराजीयात किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नही की गई है और पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 16.12.15 से कब्जा साबित है।

अदालत मातहत द्वारा अपीलांट/वादी का वाद इस आधार पर खारिज किया गया है कि मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि पड़त है, कोई दखल नही है और न ही गैर खातेदारी मे दर्ज रिकार्ड है।

अदालत मातहत के पीठासीन अधिकारी जो कि भूमि आवंटन कमेटी के चेयरमेन भी होता है और उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा ही राजस्व अभियान 1983 क्षेत्र बामनवास सरकारी अनाधिवासित भूमि आवंटन आदेश दिनांक 22.01.1983 कैम्प ग्प्रम गण्डाल को जारी किया गया था। आदेश के बिंदु संख्या 7–अ के अनुसार आवंटन गैर खातेदारी अधिकार के बतौर है और आदेश दिनांक 22.01.83 मे ही यह आदेशित किया गया है कि आवंटी को एक सप्ताह मे कब्जा दिया जावें। लगान 1.56 रूपए प्रति बीघा से कायम किया जावें।

अदालत मातहत द्वारा बिना साक्ष्यों का विवेचन किए ही, साक्ष्यों के विरूद्व उक्त निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्व है। क्योंकि आवंटन आदेश अभी अस्तित्व मे है, ग्राम पंचायत गण्डाल, गैर खातेदार द्वारा जब भूमि का त्याग पत्र स्वीकार लिया गया था तो नियमानुसार उसको सिवायचक मे दर्ज किया जाना चाहिए था। अपीलांट के पक्ष मे दखलयाबी, लगान कायमी के संबंध मे अपने ही आदेशों मे पालना सुनिश्चित करवाया जाना चाहिए था। यह कार्य अध्यक्ष भूमि आवंटन सलाहकार समिति की पदीय हैसियत से नही किया गया, न ही उसके पक्ष मे खातेदारो के अधिकारों की घोषणा की गई।

अपीलांट को भूमि आवंटन के बाद भू–प्रबंध विभाग की कार्यवाही के दौरान विवादित आराजीयात को सिवायचक दर्ज करना चाहिए था परन्तु विवादित आराजीयात को ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दिया। भू–प्रबंध विभाग को ऐसा करने को कोई अधिकार नही था।

इसी मत का समर्थन माननीय राजस्व मंडल अजमेर के दृष्टांत **2016(1)** आर.आर.टी. **पेज 374** में निम्नानुसार किया है:–

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 212-Temporary Injunction-Trial Court granted T.I. & restrained the defendants-RAA allowed the appeal &set aside the order-Land was in khatedari of Hardev S\o Dhula Settlement department entered the name of 'K' in the record-Land was self acquired of Hardev-Settlement was not competent to change the entries of the record & they are bound to repeat the entries-Held, Order set aside."

इसी प्रकार उक्त संदर्भ मे माननीय उच्च न्यायालय ने दृष्टांत **2008(1)** आर.आर.टी. **पेज 151** निम्नानुसार प्रतिपादित किया है:–

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

"Rajasthan Tenancy Act, 1955-Sec. 88-Suit for declaration-petition- ers declared khatedar tenant of Kh. 734-RAA reversed the judgment and upheld by BOR-Settlement Department had no right to change the existing entries even admitting the possession of father respondent No.4-Respon-dent No.4 should have file an independent suit-Held, RAA and Board were not justified in reversing the judgment and decree."

इस कारण अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय अपास्त योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 16/2013 बउनवान बजरंग लाल बनाम ग्राम पंचायत गण्डाल में पारित निर्णय दिनांक 09.06.16 को अपास्त किया जाता है। विवादित आराजीयात वाके ग्राम गण्डाल के खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 मे से 03 बीघा भूमि ग्राम पंचायत गण्डाल के खातेदारी मे से कम किया जाकर अपीलांट जो कि आंवटी बजरंगलाल पुत्र बाल्याराम के वंशज है, को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.04..2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिकी अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

अपील संख्याः– 78/2016 **(223 आर.टी.एक्ट)**
जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2016/00059

उनवान

1. घनश्याम
2. बिहारी लाल
3. रघुवीर
4. प्रकाश

} पुत्रान बजरंग लाल जाति जांगिड ब्राहम्ण निवासीयान गण्डाल तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

......अपीलांटस्।

बनाम

1. ग्राम पंचायत गण्डाल जरिये सरपंच ग्राम पंचायत गण्डाल पंचायत समिति बामनवास जिला सवाई माधोपुर।
2. लैण्ड होल्डर सरकार जरिये तहसीलदार बामनवास जिला सवाई माधोपुर।

......रेस्पोडेन्टस्/प्रतिवादीगण।

अपील संख्या :78/2017 **(धारा 223 आर.टी.एक्ट)**
जी.सी.एम.एस संख्या :2016/00059 **दिनांक 17.04.2023**

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड़ अधिकारी बामनवास

यह अपील व तारीख 17.04.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार की जाकर अदालत मातहत बामनवास के मुकदमा नंबर 16/2013 बउनवान बजरंग लाल बनाम ग्राम पंचायत गण्डाल में पारित निर्णय दिनांक 09.06.16 को अपास्त किया जाता है। विवादित आराजीयात वाके ग्राम गण्डाल के खसरा नंबर 530 रकबा 1.65 है0 मे से 03 बीघा भूमि ग्राम पंचायत गण्डाल के खातेदारी मे से कम किया जाकर अपीलांट जो कि आंवटी बजरंगलाल पुत्र बाल्याराम के वंशज है, को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 17.04..2023 को जारी किया गया।

मुहर

GL 17.4.23
हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner